

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :- 02/2019

निर्णय दिनांक :- 14.12.2023

उनवानी दावा:

दुर्गालाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र 48 वर्ष निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ)
तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

बनाम

1. हेमराज पुत्र शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. गोपाल पुत्र शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. दुर्गा पुत्री शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
4. मीरा पुत्री शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
5. शांति देवी बेवा शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज0)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री रामनिवास तुनगारिया

श्री सांवरिया बैरागी

एकपक्षीय कार्यवाही

विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 5,

दावा बाबत विभाजन आराजीयात

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 17.10.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू. अ./424

दिनांक 24.02.2023 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं।


अतः जमाबंदी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 52 ख. नं. 1109 रकबा 0.97 है०, कुल किता-01, कुल रकबा 0.97 है० वाके ग्राम सेंदियावास पटवार हल्का सांवतगढ तहसील देवली में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एकपक्षीय अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	दुर्गालाल पुत्र श्री किशन मीणा सा. दाता खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1109/1 उतर पश्चिम दिशा	0.16	0.08
	योग	किता-1	0.16	0.08
2	हेमराज स्व. शंकर मीणा हि. 97/405 गोपाल पुत्र स्व. शंकर मीणा हि. 77/405 दुर्गा पुत्री स्व. शंकर मीणा हि. 77/405 मीरा पुत्री स्व. शंकर मीणा हि. 77/405 शांति देवी पत्नी स्व. शंकर मीणा 77/405 सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	1109/2	0.81	0.41
	योग	किता-1	0.81	0.41

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.12.2023 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

02/2019 उनवान दुर्गालाल बनाम हेमराज वगै.
दिनांक 14.12.2023

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी
देवली टोंक.....

दुर्गालाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र 48 वर्ष निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ)
तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

बनाम

1. हेमराज पुत्र शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. गोपाल पुत्र शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. दुर्गा पुत्री शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
4. मीरा पुत्री शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
5. शांति देवी बेवा शंकर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज0)

—प्रतिवादीगण—


दावा विभाजन आराजियात

मुकदमा नं. 02 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया व सांवरिया बैरागी अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 40 ख. नं. 1109 रकबा 0.97 है0, कुल किता-01, कुल रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम सेंदियावास पटवार हल्का सांवतगढ तहसील



देवली दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	दुर्गालाल पुत्र श्री किशन मीणा सा. दाता खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1109/1 उतर पश्चिम दिशा	0.16	0.08
	योग	किता-1	0.16	0.08
2	हेमराज स्व. शंकर मीणा हि. 97/405 गोपाल पुत्र स्व. शंकर मीणा हि. 77/405 दुर्गा पुत्री स्व. शंकर मीणा हि. 77/405 मीरा पुत्री स्व. शंकर मीणा हि. 77/405 शांति देवी पत्नी स्व. शंकर मीणा 77/405 सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	1109/2	0.81	0.41
	योग	किता-1	0.81	0.41

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 12 सन् 2023 को जारी किया गया।

दस्तख्त

ओहदा उपखण्ड अधिवक्ता देवली (टीक)


मुहर

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प बजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		

02/2019 उनवान दुर्गालाल बनाम हेमराज वगै.
दिनांक 14.12.2023

अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
देवली (टीक)